उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 18 /2021/ 99प्र0स0 /92-2-2021-91जांच/14

लखनऊ:: दिनांक 03 मार्च, 2021

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा की गयी निरीक्षण आख्या में पायी गयी अनियमितताओं एवं समय से कार्य न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये श्री अवधेश मणि त्रिपाठी तत्का0 अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू-2 गोण्डा के विरूद्व कार्यालय ज्ञाप सं0-01/5511/92-2014-91जांच/2014 दिनांक 02-01-2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया । कालान्तर में जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या तथ्यात्मक न होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1082/92-2-2016-91जांच/2014 दिनांक 06-06-2016 द्वारा प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में नामित जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को परिवर्तित करते हुये श्री शैलेश अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी श्री शैलेश अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक जी-91/एस0टी-सीटीई/2749-2750-2751/2016-17 दिनांक 14-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या, स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/अभिकथन दिनांक 12-06-2017 तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-119/2017/19अ0मु0स0/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 18-07-2017 द्वारा श्री अवधेश मणि त्रिपाठी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को वर्ष 2016-17 हेतु सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दा दण्ड के साथ समाप्त किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10-08-2017 को बलहीन पाते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-200/17/301/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 08-11-2017 द्वारा निस्तारित करते हुये निरस्त किया गया । तदोपरान्त श्रीमती सुचिता त्रिपाठी पत्नी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी के प्रार्थना सपत्र दिनांक 14-09-2020 के क्रम में शासन के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-11म0आ0/92-2-2020-91जांच/2014 दिनांक 01-10-2020 द्वारा उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-07-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु संदिग्ध की गयी सत्यनिष्ठा को समाप्त करते हुये शेष दण्ड को यथावत रखा गया ।

3- इसी मध्य श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-119/2017/19अ0मु0स0/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 18-07-2017 द्वारा प्रदत्त वर्ष 2016-17 हेतु सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दा दण्ड के विरूद्व मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ में निर्देश याचिका संख्या-1264/2018-अवधेश मणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 25-09-2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये :-

> **" निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है । आलोच्य कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-07-2017 निरस्त किया जाता है । विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि याची के विरूद्व उपर्युक्त आरोपों के संबंध में याची को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विभागीय जांच सम्पादित कर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर सकारण व मुखरित आदेश पारित करें ।**
>
> **उभय पक्ष वाद-व्यय स्वंय वहन करेंगें। "**

4- मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-119/2017/19अ0मु0स0/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 18-07-2017 (जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया था ।) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-11म0आ0/92-2-2020-91जांच/2014 दिनांक 01-10-2020 (जिसके द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-07-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु प्रदत्त सत्यनिष्ठा संदिग्ध के दण्ड को समाप्त करते हुये शेष दण्ड को यथावत रखा गया था ।) को निरस्त करते हुये श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर दिनांक 03-09-2016 के क्रम में मौखिक सुनवाई एवं साक्षियों से प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-130/92-2-2021-91जांच/2014 दिनांक 25-01-2021 द्वारा श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू-2 गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही पुन: संस्थित करते हुये मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-2059/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-गोण्डा/2020-21 दिनांक 16-02-2021 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

जांच अधिकारी के पत्रांक-1995 दिनांक 28-01-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी को व्यक्गित सुनवाई एवं साक्षियों से प्रतिपरीक्षण हेतु दिनांक 08-02-2021 को सुनवाई हेतु बुलाया गया तथा अपचारी अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व प्रेषित बचाव उत्तर के अतिरिक्त यदि अन्य कोई तथ्य/उत्तर प्रेषित करना चाहते हो, तो उसे व्यक्गित सुनवाई से पूर्व उपलब्ध करायें । अपचारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को व्यक्गित सुनवाई हेतु उपस्थित होकर आरोपों के संदर्भ में मौखिक रूप से स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्व बचाव उत्तर में पूर्ण स्थिति स्पष्ट किये जाने का कथन प्रस्तुत किया गया तथा अतिरिक्त कथन के रूप में अपने पत्र दिनांक 08-02-2021 द्वारा लिखित तथ्य भी प्रस्तुत किया गया । अपचारी अधिकारी के विरूद्व आरोप, समर्थन में संलग्न साक्ष्यों, अपचारी अधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर, संलग्न साक्ष्यों एवं व्यक्तिगत सुनवाई के समय उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 08-02-2021 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं सुसंगत नियमों के सम्यक अवलोकन परीक्षणोपरान्त जांच आख्या निम्नवत है :-

(1) संदर्भित अनुशासनिक कार्यवाही में तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित जांच आख्या में आरोपों में विरूद्व अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव उत्तर एवं उल्लिखित तथ्यों तथा साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए तार्किक आधार पर शासन को तथ्यपरक जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी पर अधिरोपित आरोपों में से आरोप संख्या-01, 02 एवं 03 आंशिक रूप से व आरोप संख्या-04 पूर्ण रूप से सिद्व पाया गया है ।

(2) संदर्भित जांच आख्या में तथ्यों की विस्तृत विवेचना उपरान्त उल्लिखित निष्कर्ष नियमों एवं तथ्यों पर आधारित होने के कारण शासन द्वारा स्वीकार करते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में निहित प्रक्रिया के अनुसार श्री त्रिपाठी से अभ्यावेदन प्राप्त करते हुये आख्या के परीक्षण उपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही में दण्डादेश निर्गत किया गया। दण्डादेश के विरूद्व योजित निर्देश याचिका संख्या-1264/2018 अवधेशमणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 25-09-2020 में आरोपों के संदर्भ में तथ्यात्मक विवेचना के आधार पर नहीं अपितु तकनीकी कारण जैसे जांच अधिकारी द्वारा तिथि समय व स्थान निर्धारित कर सुनवाई का अवसर न देने, सकारण आदेश न होने के आधार पर याचिका स्वीकार करते हुए दण्डादेश दिनांक 18-07-2017 निरस्त किया गया है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) याची द्वारा दिनांक 08-02-2021 को व्यक्तिगत सुनवाई के समय उन्हीं तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराया गया, जो उनके बचाव उत्तर में लिखित रूप से पूर्व में उपलब्ध कराया गया है । पत्रांक-मैमों दिनांक 08-02-2021 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये लिखित तथ्यों के अन्तर्गत भी मात्र पीएमजीएसवाई योजना के कार्यों के संचालन में आपरेशन मैनुअल के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए योजनान्तर्गत निर्धारित त्रिस्तरीय मानीटरिंग की व्यवस्था के संबंध में प्रक्रिया से अवगत कराया गया है तथा यह कहा गया है कि निर्धारित त्रिस्तरीय मानीटरिंग की व्यवस्था के संबंध में प्रक्रिया से अवगत कराया गया है तथा यह कहा गया कि निर्धारित त्रिस्तरीय (प्रथम पीआईयू, द्वितीय एसक्यूएम, तृतीय एनक्यूएम) में से जिस स्तर से चैकिंग की जाती है, ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य मदों की ग्रेडिंग इंगित की जाती है, यदि कोई कार्य अथवा सामग्री निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो कमियों में सुधार करवाया जाता है, जिसकी लागत ठेकेदार को स्वंय वाहन करना होता है । इसमें शासन की कोई क्षति नहीं होती है । पीआईयू स्तर से सुधार एवं संतोषजनक श्रेणी में लाने के उपरान्त एटीआर यूपीआरआरडी को प्रेषित की जाती है तथा उनके स्तर से एसक्यूएम द्वारा सत्यापित करवाया जाता है एवं पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही स्वीकार किया जाता है । अतः निर्माण एवं अनुरक्षण की जांच के लिए निर्धारित अनेक बिन्दुओं में यदि किसी बिन्दु पर असंतोषजनक ग्रेडिंग होती है, तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि मार्ग की गुणवत्ता पूर्णतया असंतोषजनक है । किसी एक बिन्दु पर असंतोषजनक ग्रेडिंग को ठीक कराने एवं तत्पश्चात एटीआर प्रेषित करना एक सतत प्रक्रिया है।

(4) अपचारी अधिकारी द्वारा अपने लिखित तथ्यों के साथ आरोपित कार्य पैकेज संख्या-यूपी 3060, यूपी-3061, यूपी-3066, यूपी-3043 के संदर्भ में सभी पैकेज के कार्यों को संतोषजनक पूर्ण होने एवं एसक्यूएम तथा एनक्यूएम द्वारा संतोषजनक ग्रेडिंग जिसकी प्रविष्टि ओमास पर भी है, जिसकी प्रति अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है ।

(5) उक्तानुसार अपचारी अिधकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित बचाव उत्तर में उल्लिखित तथ्यों जिसकी विस्तृत विवेचना करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा आरोपों के संदर्भ में आख्या दिनांक 14-10-2016 प्रेषित की जा चुकी है, के अतिरिक्त कोई ऐसा नया/ विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसकी पुन- विवेचना की आवश्यकता हो। अतः व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त आरोपों के विरूद्व कोई नवीन एवं पुष्ट तथ्य प्रस्तुत न करने के कारण पुनर्विवेचना एवं आख्या के पुनरोल्लिखित करने का औचित्य नही पाया गया ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) अपचारी अधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई की गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्धारित त्रिस्तरीय व्यवस्था के संबंध में उल्लिखित कथन स्वीकार योग्य है तथा आरोपो के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी को क्षति के लिए आरोपित नहीं किया गया है । आरोप के अन्तर्गत इंगित सभी कार्य पूर्ण होने एवं पांच वर्षों तक असंतोषजनक अनुरक्षण के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके है, जिसकी पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-देवीपाटन गोण्डा के पत्रांक-1889 दिनांक 15-02-2021 द्वारा की गई ।

(7) यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में अन्तर्निहित दो सहायक अभियन्ता श्री कृपाल सिंह वर्मा एवं श्री बी0एल0 रावत के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में शासकीय क्षति न होने तथा संबंधित के अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-173 एवं 174/2017/1470/92-2-17-91जांच दिनांक 03-10-2017 द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

6- जांच अधिकारी की उपरोक्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग यूपी-3060, यूपी-3061, यूपी-3066, यूपी-3043 क्रमशः दिनांक 28-11-2019, 17-01-2020, 23-05-2017, 26-11-2020 एवं 18-08-2015 को लोक निर्माण विभाग गोण्डा को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा आरोपित कार्य पैकेज संख्या- यूपी-3060, यूपी-3061, यूपी-3066, यूपी-3043 संतोषजनक रूप से पूर्ण है एवं एसक्यूएम एवं एनक्यूएम द्वारा संतोषजनक ग्रेडिंग प्रविष्टि ओमास पर भी है । अतएव वर्णित तथ्यों एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 16-02-2021 के दृष्टिगत मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1264/2018अवधेश मणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 25-09-2020 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-130/92-2-2021-91जांच/2014 दिनांक 25-01-2021 द्वारा श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू-2 गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित पुर्न अनुशासनिक जांच को एतदद्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 18 /2021/ 99प्र0स0 (1)/92-2-2021,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू-2 गोण्डा सम्प्रति पीआईयू- मुजफ्फरनगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।